

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 486/2025

श्री कयूम, निवासी पुरा की ढाणी, खीदरसर, जिला झुंझुनूं  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) झुंझुनूं।

—  
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 01.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 486/2025 पर दिनांक 17.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5056-5057 दिनांक 17.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2025/1389 दिनांक 28.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/1376 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2025/1389 दिनांक 28.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/1376 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ० अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर झुंझुनूं